



Neutral Citation Number- 2026:AHC:32146

उच्च न्यायालय, इलाहाबाद

रिट-सी संख्या-5813/2026

कृपाल और अन्य

.....याचिकाकर्ता/याचिकाकर्तागण

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य और 13 अन्य

.....प्रत्यर्थी/प्रत्यर्थीगण

याचिकाकर्ता/याचिकाकर्तागण के अधिवक्ता

: अंकित कुमार, श्रवण कुमार पांडे

प्रत्यर्थी/प्रत्यर्थीगण के अधिवक्ता

: अरुण कुमार पांडे

न्याय कक्ष संख्या-6

माननीय न्यायमूर्ति प्रकाश पाडिया

1. यह तर्क दिया गया है कि याचिकाकर्ताओं द्वारा उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता, 2006 की धारा 129 के तहत एक आवेदन प्रत्यर्थी संख्या-3, उप-विभागीय-मजिस्ट्रेट, तहसील और जिला संभल के समक्ष प्रस्तुत किया गया था; परंतु प्रत्यर्थी संख्या-3 के कार्यालय ने उक्त आवेदन को स्वीकार करने से इनकार कर दिया है, जिसके परिणामस्वरूप यह वर्तमान रिट याचिका दायर की गई है।

2. दूसरी ओर, राज्य-प्रत्यर्थियों की ओर से उपस्थित विद्वान स्थायी अधिवक्ता ने तर्क दिया कि इस मामले में सक्षम प्राधिकारी प्रत्यर्थी संख्या-3, अर्थात् उप-विभागीय मजिस्ट्रेट, तहसील और जिला संभल हैं, और वे इस मामले में शीघ्रता से निर्णय लेंगे।

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”



3. इस मामले को देखते हुए और न्याय के हित में भी, याचिकाकर्ताओं को यह अनुमति दी जाती है कि वे संहिता, 2006 की धारा-129 के तहत प्रत्यर्थी संख्या-3, यानी उप-विभागीय मजिस्ट्रेट, तहसील और जिला संभल के समक्ष एक आवेदन प्रस्तुत करें। यदि याचिकाकर्ताओं द्वारा आज से तीन सप्ताह की अवधि के भीतर प्रत्यर्थी संख्या-3 के समक्ष ऐसा आवेदन दायर किया जाता है, तो उसके बाद तीन महीने की अवधि के भीतर उनके द्वारा कानून के अनुसार आवश्यक निर्णय लिया जाएगा।

4. उपर्युक्त टिप्पणियों के साथ, रिट याचिका का अंतिम रूप से निपटारा किया जाता है।

(माननीय न्यायमूर्ति प्रकाश पाडिया)

12 फरवरी, 2026

स्वाति

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”